

# संघ लोक सेवा आयोग

## Union Public Service Commission

श्री संजय सप्तर्षि

सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) एक संवैधानिक निकाय है जो देश में विभिन्न परीक्षाएँ आयोजित करने के लिए अधिकृत है। यह सिविल सेवा, रक्षा सेवा, इंजीनियरिंग सेवा और चिकित्सा सेवा से संबंधित विभिन्न परीक्षाएँ आयोजित करता है। यह सांख्यिकी सेवा, आर्थिक सेवा और पुलिस बलों की भी जाँच करता है।

### भारत में यूपीएससी का इतिहास

1923 में, ब्रिटिश सरकार ने भारत में सुपीरियर सिविल सेवाओं पर रॉयल कमीशन का गठन किया, जिसके अध्यक्ष फेयरहैम के लॉर्ड ली थे। भारतीय और ब्रिटिश सदस्यों की बराबर संख्या वाले इस आयोग ने 1924 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रस्ताव था। ली आयोग ने सिफारिश की कि 40% प्रवेशार्थी ब्रिटिश हों, 40% भारतीय सीधे भर्ती किए जाएं और 20% भारतीय प्रांतीय सेवाओं से पदोन्नत किए जाएं।

इसके बाद, 1 अक्टूबर 1926 को सर रॉस बार्कर की अध्यक्षता में पहला लोक सेवा आयोग स्थापित किया गया। शुरू में, इसकी भूमिका सीमित सलाहकारी थी, जो स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं के लिए विवाद का विषय था। इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय लोक सेवा आयोग का निर्माण हुआ।

स्वतंत्रता के बाद, संघीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के तहत इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।

### संघ लोक सेवा आयोग के लिए संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 में ऐसे निकाय का प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग को केंद्र सरकार के कई पदों पर भर्ती करने के लिए एक स्थायी निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। अनुच्छेद 318 के अनुसार, एक अध्यक्ष और एक निश्चित संख्या में सदस्यों के साथ एक आयोग की स्थापना की जाएगी।

- अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

- इस प्रकार, राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को छह वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त करता है।

## संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित लेख

संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लेख निम्नलिखित हैं:

अनुच्छेद	विवरण
अनुच्छेद 315	संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग।
अनुच्छेद 316	सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि।
अनुच्छेद 317	लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना और निलंबित किया जाना।
अनुच्छेद 318	आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति।
अनुच्छेद 319	आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने पर प्रतिषेध।
अनुच्छेद 320	लोक सेवा आयोग के कार्य
अनुच्छेद 321	लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति
अनुच्छेद 322	लोक सेवा आयोग का व्यय।
अनुच्छेद 323	लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट

## संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति

यूपीएससी (UPSC in Hindi) के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया भारत के संविधान में उल्लिखित है। संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति को सदस्यों की नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंधित मामलों पर संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission in Hindi) से परामर्श करना आवश्यक है। हालाँकि, यूपीएससी द्वारा दी गई सलाह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है।

यूपीएससी की सदस्यता के लिए योग्यताएं भी संविधान में निर्दिष्ट हैं। अनुच्छेद 316 के अनुसार, कोई व्यक्ति यूपीएससी का सदस्य नियुक्त होने के लिए पात्र है, यदि वह निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता है:

- वे भारत के नागरिक हैं।
- वे भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम दस वर्षों तक लाभ का पद धारण किये हैं।
- वे कम से कम दस वर्षों तक लगातार एक उच्च न्यायालय या दो या अधिक ऐसे न्यायालयों के अधिवक्ता रहे हैं।
- उनके पास ऐसी शैक्षिक योग्यता और अनुभव है जिसे राष्ट्रपति उपयुक्त मानते हैं।

# सदस्यों को हटाना

भारत के राष्ट्रपति के पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317 में उल्लिखित कारणों से यूपीएससी सदस्य को पद से हटाने का अधिकार है। किसी भी समय, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं।

यदि आयोग के किसी सदस्य पर दिवालियापन का आरोप लगाया जाता है या वह अपने पद के कर्तव्यों के अलावा किसी अन्य भुगतान वाली नौकरी में लगा हुआ है, तो उसे हटाया जा सकता है। दुर्व्यवहार के आधार पर आयोग के किसी भी सदस्य को पद से तभी हटाया जाएगा जब भारत का सर्वोच्च न्यायालय ऐसे दुर्व्यवहार की जांच करेगा और उसे उचित ठहराएगा। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि सदस्य मानसिक या शारीरिक बीमारी के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है, तो भारत के राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकते हैं।

## संघ लोक सेवा आयोग के कार्य

संघ लोक सेवा आयोग के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं:

- यह संघ की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए नियमित परीक्षाएं आयोजित करता है, जिनमें अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और केंद्र शासित प्रदेश की सार्वजनिक सेवाएं शामिल हैं।
- यह राज्यों को किसी भी सेवा के लिए संयुक्त भर्ती योजनाओं को विकसित करने और लागू करने में सहायता करता है, यदि दो या अधिक राज्य अनुरोध करते हैं, जिसके लिए विशेष योग्यता वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है।
- निम्नलिखित विषयों पर इससे परामर्श लिया जाता है:
  - सिविल सेवा भर्ती एवं सिविल पद भर्ती से संबंधित सभी मामले।
  - सिविल सेवा एवं पद नियुक्तियों की व्यवस्था करने में पालन किए जाने वाले नियम, साथ ही एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण और पदोन्नति, साथ ही ऐसी नियुक्तियों, स्थानांतरणों और पदोन्नति के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता।
  - भारत सरकार की सिविल सेवाओं में कार्यरत किसी व्यक्ति से संबंधित सभी अनुशासनात्मक कार्यवाहियां, जिनमें ऐसे मामलों से संबंधित अभ्यावेदन या याचिकाएं भी शामिल हैं।
  - किसी सरकारी अधिकारी द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते समय किए गए या कथित रूप से किए गए कार्यों के लिए उसके विरुद्ध दायर न्यायिक कार्यवाही का बचाव करने में किए गए खर्च के लिए कोई दावा।
  - भारत सरकार में सेवा करते समय लगी चोटों के लिए पेंशन का कोई दावा, साथ ही ऐसे पुरस्कार की राशि पर कोई विवाद।
  - कार्मिक प्रबंधन से संबंधित कोई भी मामला भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसके पास भेजा जाता है।

- भारत की संसद संघ लोक सेवा आयोग को संघ की सेवाओं पर अतिरिक्त अधिकार दे सकती है। यह किसी स्थानीय सरकार, अन्य कानूनी इकाई या सार्वजनिक संस्थान की भर्ती प्रणाली को अपने अधिकार क्षेत्र में लाकर यूपीएससी (UPSC in Hindi) की भूमिका का विस्तार भी कर सकती है।
- यह संघ लोक सेवा आयोग के कामकाज के बारे में भारत के राष्ट्रपति को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसके बाद राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, साथ ही एक नोट भी प्रस्तुत करते हैं जिसमें उन परिस्थितियों का उल्लेख होता है जिनमें आयोग की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया और क्यों इसे स्वीकार नहीं किया गया।

## यूपीएससी का संगठनात्मक ढांचा

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के पास उच्च स्तरीय सरकारी पदों के लिए भारत की केंद्रीय भर्ती एजेंसी के रूप में अपनी भूमिका के लिए एक संरचित ढांचा है:

- **अध्यक्ष:** यूपीएससी का नेतृत्व भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष आयोग की गतिविधियों की देखरेख करता है, एजेंडा निर्धारित करता है और परीक्षाओं का निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करता है।
- **सदस्य:** यूपीएससी में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सदस्य होते हैं, जिनमें से प्रत्येक भर्ती और चयन प्रक्रियाओं में सहायता के लिए अपनी विशेषज्ञता प्रदान करता है।
- **सचिवालय:** आयोग एक समर्पित सचिवालय के माध्यम से कार्य करता है जो दैनिक प्रशासन, परीक्षा प्रबंधन और सरकारी विभागों के साथ समन्वय के लिए जिम्मेदार है।
- **परीक्षा प्रभाग:** यूपीएससी के भीतर अलग-अलग प्रभाग सिविल सेवा, इंजीनियरिंग सेवा और संयुक्त रक्षा सेवा सहित विभिन्न परीक्षाओं को संभालते हैं। वे परीक्षाएं डिजाइन करते हैं, उनका संचालन करते हैं और उम्मीदवारों का मूल्यांकन करते हैं।
- **सलाहकार समितियां:** यूपीएससी चयन प्रक्रिया में सहायता करने तथा भर्ती नीतियों पर सिफारिशें देने के लिए विषय-वस्तु विशेषज्ञों और सेवानिवृत्त अधिकारियों की सलाहकार समितियां स्थापित कर सकता हैं।
- **क्षेत्रीय कार्यालय:** क्षेत्रीय अध्यर्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा विकेन्द्रीकृत परीक्षा संचालन की सुविधा के लिए, यूपीएससी पूरे भारत में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करता है।
- **स्वतंत्र एवं निष्पक्ष:** यूपीएससी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए प्रतिबद्ध है, तथा योग्यता और समान अवसर के सिद्धांतों को कायम रखते हुए भर्ती में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है।

## यूपीएससी की वर्तमान संरचना

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के अध्यक्ष और अन्य दस सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान में अनुच्छेद 316 यूपीएससी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति

और पदावधि से संबंधित है। आयोग के अध्यक्ष और दस सदस्यों की सेवा की शर्तें और नियम संघ लोक सेवा आयोग सदस्य विनियम, 1969 द्वारा नियंत्रित होते हैं।

कुल सदस्यों में से, आयोग के आधे सदस्यों को कम से कम दस साल तक भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के लिए काम करना चाहिए, और वे आम तौर पर सिविल सेवक होते हैं। दो अतिरिक्त सचिवों, कई संयुक्त सचिवों, उप सचिवों और अन्य सहायक कर्मचारियों वाला एक सचिवालय आयोग की जांच करता है। प्रत्येक सदस्य छह साल या 65 वर्ष की आयु तक सेवा करता है।

## यूपीएससी के अध्यक्षों की सूची

नीचे दी गई तालिका में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की सूची दी गई है:

यूपीएससी के अध्यक्षों की सूची	
अध्यक्ष	कार्यकाल
सर राँस बार्कर (प्रथम अध्यक्ष)	अक्टूबर 1926 - अगस्त 1932
डेविड आर. सिमलीह	4 जनवरी, 2017 - 21 जनवरी, 2018
विनय मित्तल	22 जनवरी, 2018 - 19 जून, 2018
अरविंद सक्सेना	20 जून, 2018 - 24 अगस्त, 2020
प्रदीप कुमार जोशी	25 अगस्त, 2020 - 4 अप्रैल 2022
डॉ. मनोज सोनी	5 अप्रैल, 2022 - 27 जून 2023
प्रीति सुदान	1 अगस्त, 2024 - 29 अप्रैल, 2025

## संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता

यूपीएससी की स्वतंत्रता और निष्पक्षता की रक्षा और सुनिश्चित करने के लिए संविधान में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

- राष्ट्रपति यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य को संविधान में निर्दिष्ट तरीके और आधार पर ही पद से हटा सकते हैं। नतीजतन, उनकी नौकरी सुरक्षित रहती है।
- यद्यपि अध्यक्ष या सदस्य की सेवा की शर्तें राष्ट्रपति निर्धारित करता है, लेकिन नियुक्ति के बाद उनमें उसके लिए कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
- संघ लोक सेवा आयोग का सम्पूर्ण व्यय, जिसमें अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और पैशान शामिल हैं, भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है तथा यह संसदीय अनुमोदन के अधीन नहीं है।
- पद छोड़ने के बाद यूपीएससी का अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य सरकार में नौकरी के लिए पात्र नहीं रह जाता।

- यूपीएससी के किसी सदस्य को यूपीएससी या किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य में किसी अन्य पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता।
- संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य उस पद पर दूसरे कार्यकाल के लिए पात्र नहीं है।

## संघ लोक सेवा आयोग की सीमाएँ

- नियुक्तियों या पदों के संदर्भ में किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षण निर्धारित करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं किया जाता है।
- सेवाओं एवं पदों पर नियुक्तियां करते समय अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की मांगों को ध्यान में रखना।
- आयोगों या न्यायाधिकरणों की अध्यक्षता या सदस्यता, उच्च स्तरीय राजनयिक पदस्थापना तथा समूह 'सी' और 'डी' सेवाओं के बहुमत के लिए चयन हेतु यूपीएससी से सलाह नहीं ली जाती है।
- राष्ट्रपति को यूपीएससी के अधिकार क्षेत्र से कार्यालयों, सेवाओं और विषयों को छूट देने का अधिकार है।
- भारतीय संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति ऐसे विनियम बना सकते हैं जिनमें यह बताया गया हो कि अखिल भारतीय सेवाओं और केन्द्रीय सेवाओं के संबंध में किन मामलों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं है।

## संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रमुख परीक्षाएँ

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कुछ प्रमुख परीक्षाएँ निम्नलिखित हैं:

- भारतीय सांखियकी सेवा परीक्षा (आईएसएस)
- भारतीय वन सेवा परीक्षा (आईएफएस)
- आईएएस, आईपीएस, आईआरएस आदि पदों की भर्ती के लिए भारतीय सिविल सेवा परीक्षा (आईसीएसई)
- संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा
- संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा (सीडीएस)
- यूपीएससी ईपीएफओ और अन्य परीक्षाओं के लिए विभिन्न भर्ती परीक्षाएं
- भारतीय इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा
- संयुक्त भू-वैज्ञानिक और भूविज्ञानी परीक्षा
- राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा (एनडीए)
- भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा (आईईएस)
- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (एसीएस) परीक्षा

# !निष्कर्ष

संघ लोक सेवा आयोग केंद्र सरकार का मुख्य भर्ती संगठन है। यह देश में योग्यता प्रणाली को बनाए रखने और सबसे योग्य उम्मीदवारों की भर्ती करने का प्रभारी है। यह परीक्षा आयोजित करता है और उसका प्रशासन करता है तथा अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के लिए ग्रुप ए और बी में भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए सरकार को सिफारिश करता है। इसकी भूमिका सरकार पर बाध्यकारी होने के बजाय सलाहकार प्रकृति की है। यदि सरकार आयोग की सलाह को अस्वीकार करती है, तो उसे संसद को जवाब देना होगा। संघ लोक सेवा आयोग केवल परीक्षा प्रक्रिया से संबंधित है, और यह सेवा वर्गीकरण, कैडर प्रशासन, प्रशिक्षण या सेवा शर्तों से संबंधित नहीं है।

## यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए मुख्य बातें

- संवैधानिक निकाय:** यूपीएससी की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत की गई थी। यह निकाय भारत सरकार के तहत विभिन्न सिविल सेवा पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती के लिए एक परीक्षा आयोजित करता है।
- अधिदेश और कार्य:** यूपीएससी की मुख्य भूमिका अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में नियुक्तियों पर निर्णय लेने के लिए परीक्षा आयोजित करना है। यह कार्मिक भर्ती, पदोन्नति या अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देता है।
- आयोजित परीक्षा:** सभी उच्च-प्रोफ़ाइल परीक्षाएँ जो अनिवार्य हैं, जैसे सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई), भारतीय वन सेवा (आईएफएस), इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा (ईएसई), संयुक्त रक्षा सेवा (सीडीएस), राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) परीक्षाएँ, और अन्य
- चयन प्रक्रिया:** यूपीएससी की चयन प्रक्रिया कठोर है, जिसमें योग्य और सुयोग्य उम्मीदवारों का चयन करने के लिए प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार सहित बहु-चरणीय परीक्षाएं शामिल हैं।
- स्वायत्ता और जिम्मेदारी:** एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के रूप में, यूपीएससी पूरी तरह से स्वतंत्र और पारदर्शिता के साथ काम करता है, जिसमें कार्यकारी अधिकारियों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। यह निकाय भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें प्रस्तुत करता है और इसके अलावा अपनी गतिविधियों और सिफारिशों पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
- सदस्यों की संरचना:** सदस्यों में भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुने गए अन्य सदस्यों के साथ एक अध्यक्ष भी शामिल है। ये व्यक्ति अक्सर लोक प्रशासन के अभ्यासी रहे हैं और कई बार लोक प्रशासन के अनुभवी प्रशासक रहे हैं जो आयोग के बेहतर कौशल सेट को बढ़ाता है।
- सुधार और आधुनिकीकरण:** यूपीएससी सदैव लोक प्रशासन की उभरती आवश्यकताओं और बेहतर उम्मीदवारों के चयन के संबंध में अपने परीक्षा पैटर्न, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन मानदंडों में सुधार करता रहता है।
- लोक सेवा में भूमिका:** यूपीएससी यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि देश की प्रशासनिक मशीनरी को मजबूत बनाने के लिए योग्यता आधारित और पारदर्शी भर्ती का उपयोग

किया जाए; इसलिए सरकार अधिक कुशलता से शासन करेगी और लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उचित रूप से पालन करेगी।